Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् सुखदेव सिंह बनाम गुरनाम सिंह वगैरा किस्म मुकदमा् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53-88-188-209 आरटीएक्ट वाद संख्या 82/2017

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
10.12.2024	वकील पक्षकारान हाजिर। वादी स्वयं उपस्थित। वादी सुखेदव सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह निवासी 48 जी0बी0-ए तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा दायर अनवानी वाद पत्र आज रोज सुनवाई में नियत है लेकिन वादगस्त रकबा बाबत् तकनीकी आधारों पर अन्य कार्यवाही रास्ता बाबत् पेश की जानी है इसलिए प्रार्थी/वादी प्रकरण में अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए मौजूदा सूरत में विड्रा करना चाहता है। प्रार्थी/वादी के अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रकरण जरिये विड्रा दाखिल दफ्तर करने का निवेदन किया गया। लिहाजा वादी की इश्तदुआ पर वाद वादी जरिये विड्रा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आदिनांक 10.12.2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner